- 1 -

[तारांकित प्रश्न क्रमांक - 590] [21/12/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 590]

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फ़ारेस्ट कालोनी, मुरैना
फोन नं. 07532-234742,E-mail - dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 1040 मुरैना, दिनांक/ 7-3-22

प्रति,

कलेक्टर(खनिज शाखा),
जिला मुरैना।

विषय:- जिला मुरैना एवं जिला भिण्ड में चंबल नदी की रेत खदानों की स्वीकृति प्रदाय करने बावत्। (सी.एम. मॉनीटरिंग)।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./खनिज/सी.एम. मोनि/2021-22/279, दिनांक 04/03/2022।

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय निवासियों को रेत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु आंशिक क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2021 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड को सम्पन्न 21वीं बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति सलग्न प्रेषित है। कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक 21.04 में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के वन्यप्राणियों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आजीविका एवं स्थानीय निवासियों को रेत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु अभयारण्य के आशिक 292.39 हैक्टेयर क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन सबधी प्रस्ताव की बोर्ड द्वारा अनुशंसा की गई है तथा प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के पालन में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव वन्यप्राणी भोपाल को निम्नानुसार भेजा गया-

क्र.	स्थल/घाट का नाम	गेम रेंज	जिला/नजदीकी शहर	क्षेत्रफल(हे. में)
1	बड़ोदिया बिंदी	सबलगढ़	श्योपुर	9.49
2	दलारना			31.10
3	राजघाट(पिपरई)	देवरी	मुरैना	78.90
4	बरवासिन	देवरी	मुरैना/जौरा	152.00
5	बड़ापुरा	अम्बाह/भिण्ड	भिण्ड	20.90
	योग-			292.39

उपरोक्त प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि./9244 दिनांक 08/12/2021(छायाप्रति संलग्न) से अनुशंसा सहित उपवन महानिरीक्षक (व.प्रा. डिवीजन) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मुरैना

OIC (Mining)
28/3

3282
28/03/22

AM. Pandey
28/03/2022

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

E:\Raghvendra\To Other Dept\General_Letters.Docx190

[तारांकित प्रश्न क्रमांक - 590]

-2-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / खनिज / सी.एम. मॉनिट / 2022/291/2305 मुरैना, दिनांक 09/03/2022

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म,
29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ।

विषयः– जिला मुरैना एवं जिला भिण्ड में चंबल नदी की रेत खदानों की स्वीकृति के संबंध में ।

संदर्भः–1–आपका कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.09.2021 ।
2–अवर सचिव, म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 21.09.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों अनुसार मान. मुख्यमंत्री कार्यालय को मान. श्री कमलेश गौर (जाटव) मान. विधायक, अम्बाह जिला मुरैना द्वारा की गई शिकायत प्राप्त हुई है। प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय की सी.एम. मॉनिट "सी" सूची में दर्ज है।

विषयांतर्गत पत्र में जिला मुरैना एवं जिला भिण्ड में चंबल नदी की रेत खदानों के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है, **जिसमें जिला मुरैना से संबंधित जानकारी वनमण्डलाधिकारी मुरैना के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 22 / 1040 मुरैना दिनांक 07.03.2022 से प्राप्त जानकारी अनुसार निम्नानुसार है :–**

1– चम्बल नदी मुरैना जिले में प्रवाहित होती है, जो कि भारत का राजपत्र सं. 1739 नई दिल्ली 11 जून 2019 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार :–

(अ)– राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत की एक स्वच्छतम नदी में स्थित है। इसकी सीमा मध्यप्रदेश के श्योपुर, मुरैना एवं भिंडा जिलो के अंतर्गत 435 किलोमीटर लंबी और क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है।

(ब)– मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2 किलो मीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की परिस्थिति की संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिस्थिति की संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है।

(स)– पारिस्थिति की संवेदी जोन का विस्तार मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से **शून्य (अंतर राज्य सीमा के कारण) से 2 किलोमीटर** तक फैला हुआ है। पारिस्थति की संवेदी जोन का क्षेत्रफल 870 वर्ग किलोमीटर है।

(द)– पारिस्थिति संवेदी जोन में सभी कियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार शास्ति होगी।

क्रमशः..................2

DIR (Mining)
DRIVE/F/MD SIR 2022
28/3
Sho Bnd
3283
28/03/22

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

(2)

(घ)– प्रतिषिद्ध कियाकलाप :–

(I)- सभी प्रकार के नये और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खाने और उनको तौडने की इकाईयां वास्तवित स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के उपयोग किये लिये मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिये धरती को खोदना और मकान बनाने के लिये देशी टाइल्स या ईटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी।

(II)- खनन संक्रियायें, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले मे तारीख 21 अप्रैल 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना का पत्र कमांक/मा.चि./22/1040 मुरैना दिनांक 07.03.2022 का पत्र विषयांकित संबंध में पूर्व में प्राप्त हुआ, जिसमें लेख किया है कि, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण एवं स्थानीय लोगों की आजीविका हेतु स्थानीय निवासियों को रेत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु अभ्यारण्य के आंशिक क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन हेतु राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत कुल 05 घाटों को रेत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु पत्र कमांक/मा.चि./9244 दिनांक 08.12.2021 (छायाप्रति संलग्न) से अनुशंसा सहित उपवन महानिरीक्षक (व.प्रा. डिवीजन) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तम मंत्रालय नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उक्त प्रस्ताव की प्रति पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :–
उपरोक्तानुसार वन विभाग से प्राप्त जानकारी ।

प्रभारी खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/सी.एम. मॉनिट/2022 मुरैना,दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपिः–

1– उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2– अवर सचिव, म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3– नोडल अधिकारी (ई उत्तर) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर की ओर सूचनार्थ ।

प्रभारी खनि अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला मुरैना (म0प्र0)

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

DRIVE/F/MO SIR 2022